बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 117 / 2018–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – सीवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत NH-101 खोरीपाकर–महम्मदपुर (45.00–65.140 कि०मी०) पथांश के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.098 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि सीवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत NH-101 खोरीपाकर–महम्मदपुर (45.00–65.140 कि०मी०) पथांश के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.098 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में 14.098 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 202 दिनांक 19.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये Tree Protection Plan के अनुसार परियोजना निर्माण के क्रम में 38 वृक्षों को परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाया जायेगा, परियोजना निर्माण के क्रम में 40 वृक्षों को पुनर्स्थापित कर बचाये जाने का प्रस्ताव है एवं 2 वृक्षों पर वृक्ष संवर्द्धन विज्ञानी (arborist) से सम्पर्क कर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ सलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 552 दिनांक 30.07.2020 द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा 8.568 हे० एवं जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा 5.53 हे० वन भूमि के लिये वनाधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसकी छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 14.098 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 28.196 हे० अर्थात् 29.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत घरबैर PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 14.098 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 88,25,348/– (रूपये अठासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 14.098 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 29.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि दिघी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 74,00,000/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./117/2018–706 दिनांक– 21/08/2020

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।